न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 34/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी अंकित पंवार
पंजीकृत कार्यालयः–502, टावर ए, पेनीनसूला बिजनेस पार्क, लोवर परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र–400013

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **प्रकाश चन्द्र पुत्र गंगासहाय जाट**
   प्रथम पताः– मकान न. 25 (के) खाती ब्राहमणों का मोहल्ला ग्राम हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. 303601
   द्वितीय पताः– केयर ऑफ अभिषेक क्लॉथ स्टोर, जरिये प्रो. पता हरितवाल कॉम्पलेक्स ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज 332701
   तृतीय पताः– मकान/फ्लेट न. 301 प्लॉट न. 37 श्री रेजीडेन्सी सुर्य नगर मुरलीपुरा जिला जयपुर राज. 302039
   चतुर्थ पताः– पट्टा न. 09 आबादी भूमि पट्टा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 333701
2. **महेश कुमार पुत्र गंगासहाय जाट**
   प्रथम पताः– मकान न. 25 (के) खाती ब्राहमणों का मोहल्ला ग्राम हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. 303601
   द्वितीय पताः– पट्टा न. 09 आबादी भूमि पट्टा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 333701
3. **अशोक कुमार जाट पुत्र गंगासहाय जाट**
   प्रथम पताः– मकान न. 25 (के) खाती ब्राहमणों का मोहल्ला ग्राम हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. 303601
   द्वितीय पताः– पट्टा न. 09 आबादी भूमि पट्टा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 333701
4. **निर्मला देवी पत्नी शिम्भुदयाल गौरा**
   प्रथम पताः– मकान न. 25 (के) खाती ब्राहमणों का मोहल्ला ग्राम हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. 303601

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

द्वितीय पताः– पट्टा न. 09 आबादी भूमि पट्टा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 333701

5. **सोनी एस पत्नी गंगासहाय जाट**
   प्रथम पताः– मकान न. 25 (के) खाती ब्राहमणों का मोहल्ला ग्राम हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. 303601
   द्वितीय पताः– पट्टा न. 09 आबादी भूमि पट्टा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 333701

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

आदेश

दिनांकः 20 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री कंचन सिंह चौधरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **प्रकाश चन्द्र पुत्र गंगासहाय जाट, महेश कुमार पुत्र गंगासहाय जाट, अशोक कुमार जाट पुत्र गंगासहाय जाट, निर्मला देवी पत्नी शिम्भुदयाल गौरा व सोनी एस पत्नी गंगासहाय जाट** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड व दुकानात बेसमेंट ग्राउण्ड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर निर्मित पट्टा नं. 9 हरितवाल कॉम्पलेक्स आबादी भूमि पट्टा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 333701 क्षेत्रफल 16 वर्गगज प्रत्येक दुकान (पट्टा नं. 9 का कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में दिनेश की दुकान व गोदाराम जाट का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमावत की दुकान, उत्तर दिशा में मकान श्री मालीराम शर्मा व

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

छाजुराम गुप्ता एवं दक्षिण दिशा में फुलचन्द सैनी की दुकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर क्रमशः **₹14,45,162/—(अक्षरे रूपये चौदह लाख पैंतालिस हजार एक सौ बासठ)** व **₹2,57,000/—(अक्षरे रूपये दो लाख सतावन हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **11.08.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **11.08.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **प्रकाश चन्द्र पुत्र गंगासहाय जाट, महेश कुमार पुत्र गंगासहाय जाट, अशोक कुमार जाट पुत्र गंगासहाय जाट, निर्मला देवी पत्नी शिम्भुदयाल गौरा व सोनी एस पत्नी गंगासहाय जाट** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड व दुकानात बेसमेंट ग्राउण्ड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर निर्मित पट्टा नं. 9 हरितवाल कॉम्पलेक्स आबादी भूमि पट्टा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 333701 क्षेत्रफल 16 वर्गगज प्रत्येक दुकान (पट्टा नं. 9 का कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में दिनेश की दुकान व गोदाराम जाट का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमावत की दुकान, उत्तर दिशा में मकान श्री मालीराम शर्मा व छाजुराम गुप्ता एवं दक्षिण दिशा में फुलचन्द सैनी की दुकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **20 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर